


दिनांक 13-09-2021

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण व उनके वकील को कई बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21-09-2021 को पेश हो।



उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

दिनांक 21-09-2021

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। प्रार्थीगण व उनके वकील दिनांक 13-09-2021 को भी उपस्थित नहीं हुये। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते है। इसके अलावा प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र दिनांक 28-08-2019 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया किन्तु प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी करवाने में भी कोई रुचि नहीं ली गयी है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।


उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)